महोदय,

(2)

कृपया पत्रावली की नोट शीट संख्या 1 पर नियोजन अनुभाग की आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो राजस्व ग्राम नूरनगर, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 953मि0 पर मै0 एस0जी0 स्टेट प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृति के संबंध में भू-अर्जन एवं भू-स्वामित्व आख्या उपलब्ध कराने विषयक है। उपरोक्त खसरा नम्बरों के संबंध में भू-अर्जन व भूस्वामित्व आख्या निम्नवत है :-

1. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में पक्ष द्वारा फर्द खतौनी की मूल प्रति व तहसील की आख्या दिनांक 23.02.2023 पत्रावली पर दाखिल की गयी है, जिसके अनुसार स्वामित्व विवरण निम्नवत है:-

ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	विक्रेता	क्रेता	वर्तमान राजस्व अभिलेख खतौनी के अनुसार दर्ज काश्तकारों का विवरण
नूरनगर	01498	953मि0	0.6177	मै0 प्लूटो ग्रीन सिटी प्रा0लि0 पंजीकृत कार्या0 एस0एफ0-2 सेकेण्ड फ्लोर यूरेका हाउस ए-30/2, वेस्ट ज्योतिनगर शहादरा दिल्ली-110094 द्वारा डायरेक्टर/अधिकृत हस्ताक्षरी पार्थ यादव पुत्र देवेन्द्र सिंह यादव ग्राम शाहपुर बम्हैटा तहसील व जिला गाजियाबाद।	मै0 एस0जी0 स्टेट प्रा0लि0 पंजीकृत कार्या0 फर्स्ट फ्लोर रचना बिल्डिंग राजेन्द्रा पैलेस नई दिल्ली-110008 द्वारा डायरेक्टर गौरव गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता नि0-डी0-1/29 राजौरी गार्डन नई दिल्ली।	विक्रेता का नाम अंकित है।

2. स्वामित्व के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर एक नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न किया गया है, जिसके प्रस्तर-8 में उल्लेख किया गया है कि **"स्वामित्व के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा तथा किसी विवाद की स्थिति मे मानचित्र का निरस्तीकरण मान्य होगा।"**

3. प्रश्नगत स्थल के सम्बन्ध में तहसीलदार, गाजियाबाद की आख्या दिनांक 23.02.2023 में उल्लेखित है कि **"राजस्व ग्राम नूरनगर, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद खसरा सं0 953 रकबा 0.6177 है0 अर्थात 6177 वर्गमी0 विकासकर्ता मै0 एस0जी0 स्टेट प्रा0लि0 पंजीकृत कार्या0 फर्स्ट फ्लोर रचना बिल्डिंग राजेन्द्रा पैलेस नई दिल्ली-110008 द्वारा डायरेक्टर गौरव गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता नि0-डी0-1/29 राजौरी गार्डन नई दिल्ली ने विक्रेता मै0 प्लूटो ग्रीन सिटी प्रा0लि0 पंजीकृत कार्या0 एस0एफ0-2 सेकेण्ड फ्लोर यूरेका हाउस ए-30/2, वेस्ट ज्योतिनगर शहादरा दिल्ली से दिनांक 09.11.2022 को बैनामे द्वारा क्रय किया है। नामान्तरण आदेश दिनांक 23.02.2023 सं0 टी202211280112448 का है। संलग्न चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 के अनुसार उक्त भूमि सरकारी भूमि नही है। उक्त भूमि मौके पर खाली है तथा भूमि के मध्य नाली, चकमार्ग आदि की सरकारी भूमि नही है। उक्त भूमि के उत्तर में खसरा सं0 959 दक्षिण में नाली चकमार्ग, पश्चिम में खसरा सं0 954 की भूमि है तथा पूरब में भूमि खसरा सं0 952 की है।"**

4. पक्ष द्वारा सर्च सर्टिफिकेट/बारहसाला की मूलप्रति दाखिल की गयी है, जो पत्रावली की दांयी ओर सलंग्न है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का विक्रय विलेख नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि पर कोई ऋण नही लिया गया है।

5. **इसमें कोई ग्राम समाज की भूमि नही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी कम्पनी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके पैरा नं0-3 में उल्लेख किया गया है कि संबंधित स्थल के बीच कोई ग्राम समाज/सरकारी भूमि/एल0एम0सी0/नगर निगम की भूमि नहीं है।**

लेखपाल
क्षेत्र-सिहानी

यदि ग्राम समाज अथवा सरकारी भूमि होना पाया जाता है तो उस पर निर्माण नहीं करेंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।

6. ग्राम नूरनगर स्थित खसरा नम्बर 953मि0 रकबा 0.6177है0 भूमि का अधिग्रहण आज दिनांक तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया है तथा यह भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वर्तमान में गतिमान किसी भू-अर्जन प्रस्ताव में भी सम्मिलित नहीं है।

7. उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में स्वीकृत किसी अन्य मानचित्र, किसी निजी विकासकर्ता के लाईसेन्स क्षेत्र, प्राधिकरण की महायोजना अथवा महायोजना मार्ग, भू-उपयोग तथा अन्य नियोजन संबंधी बिन्दुओं पर कार्यवाही नियोजन अनुभाग के स्तर से अपेक्षित है।

कृपया पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु नियोजन अनुभाग को प्रेषित करना चाहें।

10/3/23

अमीन

तहसीलदार / प्रभारी(भू0अ0)

16/3/23

दुर्गेश सिंह
तहसीलदार
गाजि0 विकास प्राधिकरण

TP